







शिवराम सिन्हा,  
15/11/2008

-2-

✓ जमीन का विवरण- जिला चौकी एवं अवर निबंधन कार्यालय धनबाद थाना धनबाद अन्तर्गत मौजा बारोमुड़ी में मेरी विक्रेता की खास नीज दखल की जमीन मौजा बारोमुड़ी नं० 3 खाता नं० 33 तैतीस प्लॉट नं० 239 दो सौ उन्चालीस खाली जमीन परिमाण 80 डीसमील में से खरीदा परिमाण 18 1/2 डीसमील में से 4 कट्ठा यानी 6.60 डीसमील जमीन आज इस दस्तावेज द्वारा विक्री किया ।

जिसका चौहद्दी- उत्तर- 5 फीट चौड़ा प्लॉट नं० 239 में एवं 5 फीट चौड़ा प्लॉट नं० 235 में = 10 फीट चौड़ा पुस्तावित रास्ता ।

दक्षिण- प्लॉट नं० 239 का अंश ।

पूरब- शिवराम सिंह जो आज अन्य दस्तावेज में खरीदता है ।

पश्चिम- श्री मती रंजु कुमारी जो आज अन्य दस्तावेज में खरीदती है ।





मबीरमास्ति-१  
१६/६/२००६

-३-

विक्रीत जमीन का एक पृति नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न "कर लाल" रंग से दर्शाया गया है ।

यह जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय के निबंधित केवाला दस्तावेज नं० 2199 दिनांक 21-2-1983 ईस्वी को जो कि वही सं० 1 जिल्द सं० 51 पृष्ठ सं० 47 से 48 सन् 1983 ईस्वी में निबंधित हुई है द्वारा बारोमुड़ी निवासी मनपूरन गोप पिता स्व० माहिन्दी गोप से विक्रेता के अपने नाम पर खरीदा जमीन है जिसका वार्षिक लगान अंचल कार्यालय धनबाद को थोका नं० 853 में आदाय देते हुए निर्विवाद रूप से भोग दखल करते आ रही हैं ।

उक्त जमीन विक्री हेतु धारा 26 § 1 § शहरी भू-हदबन्दी अधिनियम 1976 के तहत सक्षम पदाधिकारी धनबाद को सूचना पत्र सं० 907/06 दिनांक 2-5-2006 ईस्वी को सूचना दी गई है, जिसका 60 दिन के अन्दर आपत्ति की कोई सूचना नहीं है, इसलिए 60 दिन बिताने के बाद आज उक्त दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित कर रही हैं ।



श्रीमती सिद्धा  
१६/११/२००६

-4-

मालिक जमीन्दार झारखण्ड सरकार  
अंचल कार्यालय धनबाद ।

सालाना मालगुजारी- 10 पैसा मात्र ।

चूंकि विक्रय पत्र {केवाला दस्तावेज} का विवरण यह है कि मुझे  
{विक्रेता को} अति आवश्यक संसारीक खर्च हेतु रुपये की बहुत ही आवश्यकता  
आ पड़ने के कारण रुपये संग्रह का दुसरा उपाय नहीं देखकर अपनी उपरोक्त  
विवरण में लिखी जमीन को बिक्री करने का प्रस्ताव करने पर क्रेता के द्वारा  
खरीदने के लिए राजी होने पर उक्त जमीन का समयोचित सर्वोच्च मूल्य  
मो० 99,000/- रुपये धार्य हुआ, जो आज उपरोक्त धार्यकृत मूल्य के  
समस्त रुपये समझकर पाकर उक्त जमीन को इस दस्तावेज के द्वारा बिक्री कर  
सदा के लिए निःस्वत्व हुए, एवं उक्त जमीन पर मेरा जिस प्रकार का  
हक अधिकार दावा-दावी आदि था, सब आज से क्रेता का हुआ ।

15/07/2006  
3002/1/16  
96/1/2006

-5-

क्रेता माय वारीशन मेरे क्रेता के सम्पूर्ण स्वत्व से स्वत्ववान होकर उक्त जमीन को स्वयं चास आबाद कर या प्रजाविली बन्दोबस्त कर या स्वयं अपने इच्छानुसार मकान आदि बनाकर स्वयं बासोबास कर या क्षमता युक्त दान, विक्री, रैहनादि सब तरह हस्तान्तरण आदि का मालिक बनकर भोग दखल करते रहें, इसमें मैं या मेरे उत्तराधिकारी को भविष्य में किसी भी तरह का आपत्ति या ईतराज नहीं होगा, कस्ते पर भी आपत्ति आदि सर्वत्र नाजायज वा आमामन्य समझा जायगा ।

विक्रीत जमीन का मालिक जमीन्दार झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय धनबाद से अपने नाम पर दाखिल खारीज कराकर सालाना मालगुजारी प्रति वर्ष आदाय देकर अपने नाम से रसीद ग्रहण करते रहें ।

उपरोक्त विक्रीत जमीन पर मेरा क्रेता का निर्विवाद रूप से अधिकार एवं दखल कब्जा है एवं आज से पहले इसे किसी भी तरह का दान, विक्री आदि नहीं किया हुआ है, तथापि अगर भविष्य में क्रेता या क्रेता के उत्तराधिकारी को दखल कब्जे में विवाद हो तो दखल दिलाने एवं समस्त क्षति पूर्ति के देनदार होंगे ।

प्रकाश रहे कि प्लॉट नं० 239 में क्रेता अपने नीजी जमीन से 5फीट चौड़ा जमीन रास्ता के रूप में क्रेता को आने जाने के लिए छोड़े हैं ।

अतः मैंने क्रेता ने अपनी स्वेच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में सरल मन से सोच समझकर यह विक्रय पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया जो समय पर काम आवे । ईति सन् 2006 ईस्वी 17 जुलाई ।

मनोरमा सिन्हा  
96/6/2006

-6-

प्रमाणित किया जाता है कि द्वितीय प्रति एवं मूल दस्तावेज एक दूसरे का हू-ब-हू एवं सच्ची प्रतिलिपि है ।

~~मनोरमा सिन्हा  
96/6/2006~~

क्रेता का फोटो, टीप एवं हस्ताक्षर-



Groha Dahi  
17/7/2006

दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया तथा विक्रेता एवं क्रेता का फोटो इस दस्तावेज में चिपकाया गया है तथा उनलोगों के बायें हाथ के अंगुलियों का टीप मेरे सामने लिया गया है ।

गवाह-

~~हस्ताक्षर  
12/7/06~~

Shatughan prasad  
Dhambel  
L. No - 2 - 95

श्रीधर ठाकुर  
17/7/06  
पुत्राजय  
ला. न. 2-95  
20.6.06

~~अरुण नाथ  
अप विद्युनपुर  
17.7.06~~




मौजा-प्यारोमुड़ी थाना-धानबाद जिला-धानबाद के अन्तर्गत मौजा नं-3  
खता नं-33 प्लॉट नं-239 का रकबा 80 डीसमिल में से 18½ डीसमिल  
में से 4 (चार) कड़वा जो नक्से में लाल रंग से दर्शाया गया है।  
विक्रेता- श्रीमती मनोरमा सिन्हा पति श्री उपेन्द्र कुमार ।

साकिम- विशुनपुर (बबुडीह) थाना रंग जिला-धानबाद (भारखण्ड)

क्रेता- श्रीमती शौला देवी पति श्री विवेकानंद सिंह । साकिम- सैदपुर  
पो- कौंडर थाना-हुलासगंज जिला-पहानाबाद (बिहार) ।

वर्तमान पता- क्वार्टर नं- GM-2/B G.M कॉलोनी, B.T.P.S, पो- चौकरी भारील थाना-चौकरी  
भारील  
जिला- चौकरी (भारखण्ड) ।



SCALE-1"=330'-0"

चाँहदी:-


ऊर्ध्व- 6'-0" प्लॉट नं-239 रंग 5'-0" प्लॉट नं-235 =  
10'-0" का अस्वभाविक रास्ता ।

दक्षिण- प्लॉट नं- 239 का अंश

दूरव- हाल क्रेता श्री शिब शरण सिंह

पश्चिम- हाल क्रेता श्रीमती रंजु कुमारी

← 5'+5' = 10'-0" का अस्वभाविक रास्ता →



प्रबोधिनी सिन्हा

961612008

TRACED BY  
K. K. K.